


2-1-2015

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मियों को सार्वजनिक क्षेत्र
 के अन्तर्गत नही। बार-बार न्यायपालिका के अन्तर्गत नही
 लाने। एक तरह का कर्मचारी की पाली है। बल
 एक तरह का कर्मचारी है। पत्रावली का अन्तर्गत विषय
 अन्तर्गत कार्य के अन्तर्गत पाली में रखना का विषय
 विषय पाली अन्तर्गत के अन्तर्गत पे 100/1000
 पुर्नान में वास्तविक आरोपित की जाती है। तब
 कपासन अन्तर्गत पे 100/1000 के विषय में
 पुर्नान सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाली विषय
 अन्तर्गत के पाली अन्तर्गत पत्रावली के अन्तर्गत
 अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत


 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़